फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

मुरारीलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– दावा अधिघोषणा एवं स्थायी निषे0

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

मु0नं0–132/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली में तहसीलदार सिकराय द्वारा जवाब स्टेट पेश किया जा चुका है। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस दावा सुनी गई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम भालपुर तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 249, 291 के खातेदार एवं काबिज काश्तकार वादीगण हैं। उक्त भूमि के सैटलमेण्ट सम्वत 2065 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 82 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 87 रकबा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 88 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 140 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा थे तथा एकीकरण सम्वत 2017 पूर्व उक्त भूमि के खसरा नम्बर 131, 132, 133, 135, 137, 147/1, 148/2, 139/454, 139/447, 139, 145, 146, 130, 133, 407, 408, 409 थे। यह है कि एकीकरण सम्वत 2017 के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से वादीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि में होकर नया रास्ता कायम कर गलत तरीके से मिलान क्षेत्रफल बनाकर एकीकरण पूर्व के खसरा नम्बर 134, 135, 136 से बनता बता कर खसरा नम्बर 84 नक्शे में अंकित कर दिया तथा सैटलमेण्ट विभाग ने भी उस ही खसरा नम्बर 84 का नया खसरा नम्बर 251 एवं खसरा नम्बर 228 बनाकर नक्शे में अंकित कर दिया जबकि मौके पर आज दिन तक कोई रास्ता नहीं रहा है न ही वर्तमान में है। इसलिए वादीगण की खातेदारी भूमि में होकर एकीकरण विभाग द्वारा जो एकीकरण पूर्व के खसरा नम्बर 134, 135, 136 से बनना बताकर खसरा नम्बर 84 नक्शें में अंकित कर दिया तथा सैटलमेण्ट विभाग द्वारा नया नम्बर 228 कायम किया गया है उक्त रास्ते को वर्तमान नक्शे से हटाया जाकर एकीकरण पूर्व के नक्शे अनुसार दुरूस्ती फरमाने के आदेश किए जावे। वादीगण द्वारा दौराने बहस वादपत्र में वर्णित उक्त तथ्यों का दोहरान किया एवं साथ ही निवेदन किया कि इस प्रकरण के समान ही वादीगण की भूमि में से दौराने एकीकरण खसरा नम्बर 251 रास्ता कायम किया गया था जिसके संबंध में वादीगण द्वारा एक वादपत्र मुरारीलाल बनाम राज0 सरकार मु0न0 147/2020 पेश किया गया था जिसे भी न्यायालय द्वारा स्वीकार कर 12.02.2021 को एकीकरण पूर्व अनुसार दुरूस्ती बाबत आदेश जारी किए जा चुके है। इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जावे। पत्रावली में तहसीलदार सिकराय से प्राप्त जवाब स्टेट का भी अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि मौके पर खसरा नम्बर 228 पर समतल कर खेती की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	

तथा यह भी अंकित किया है कि साबिक खसरा नम्बर 84 रकबा 6 बिस्वा गै0मु0 रास्ता के हाल खसरा नम्बर 228 रकबा 0.05 है0 एवं खसरा नम्बर 251 रकबा 0.02 है0 कायम किए गए है जिनमें से खसरा नम्बर 251 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 रास्ते को न्यायालय के प्रकरण संख्या 147/2020 के निर्णय द्वारा निरस्त किया गया है। बहस वादी अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया गया पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश साबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल एवं साबित नक्शाशीट का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एकीकरण से पूर्व वादीगण की खातेदारी भूमि में होकर किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम नहीं था लेकिन एकीकरण दौरान गलत तरीके से बिना किसी विधिक आदेश के उक्त रास्ता खसरा नम्बर 84 कायम कर दिया गया जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 228 एवं 251 है जिसमें से खसरा नम्बर 251 की कायमी को न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है इसलिए वाद वादीगण स्वीकार कर खसरा नम्बर 228 की कायमी को निरस्त किया जाना भी न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर साबिक खसरा नम्बर 84 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 228 को कायमी को निरस्त किया जाकर एकीकरण से पूर्व के नक्शे के आधार पर नक्शा दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार सिकराय को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)